



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06122024-259217
CG-MH-E-06122024-259217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 972]
No. 972]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/215—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
 - खंड (घ) में, उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा:

“(i) का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हैसियत से जुड़ा हुआ हो (सहयुक्त हो) या संबंधित क्रियाकलाप होने से पहले की छह महीनों की अवधि के दौरान जुड़ा रहा हो, फिर चाहे वह उसके अधिकारियों के साथ अक्सर संपर्क में रहा हो अथवा उसका किसी करार आदि के तहत कोई संबंध रहा हो, उसका वैश्वासिक हैसियत (फिड्यूशरी कैपेसिटी) के नाते कोई संबंध रहा हो या कार्यरत व्यक्ति (नियोजित व्यक्ति) के तौर पर उसका कोई संबंध रहा हो अथवा वह कंपनी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी रहा हो अथवा वह किसी ऐसे पद पर रहा हो, जिससे कि उसका कंपनी के साथ या तो कोई व्यावसायिक संबंध रहा हो या फिर पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से कोई संबंध (अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से) रहा हो, और जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ‘अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी’ (यू.पी.एस.आई.) मिल जाती हो या फिर मिलने की पूरी-पूरी संभावना हो।”

(2) खंड (घ) में, उप-खंड (ii) में,

(क) मद (क) में, शब्द “विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का सीधा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जिन संबद्ध व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, उनका” आ जाएँगे;

(ख) मद (ज) में,

(i) शब्दों “निदेशक या उसके” के बाद दिया हुआ शब्द “सीधे” हट जाएगा;

(ii) शब्दों तथा चिह्न “दस प्रतिशत से अधिक हो;” के बाद शब्द “या” जोड़ा जाएगा।

(ग) मद (ज) के बाद और टिप्पण से पहले, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएँगी, अर्थात्:

“(ट) कोई ऐसी फर्म या उसका भागीदार (पार्टनर) या उसका कर्मचारी, जिसमें खंड (घ) के उप-खंड (i) में बताया गया संबद्ध व्यक्ति भी भागीदार (पार्टनर) हो; या

(ठ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो खंड (घ) के उप-खंड (i) में बताए गए संबद्ध व्यक्ति के घर का सामान इस्तेमाल करता हो या उसके साथ एक ही घर में रहता हो;”

(3) खंड (घ) में, टिप्पण में,

(क) शब्दों तथा चिह्न “कब्जे में हो सकती है।” के बाद दिए हुए शब्दों “सीधे नातेदारों और ऊपर विनिर्दिष्ट” के स्थान पर शब्द “नातेदारों और ऊपर बताए गए” आ जाएगा;

(ख) शब्द “कदाचित” के स्थान पर शब्द “हो सकता है कि” आ जाएँगे;

(ग) शब्दों “न करते हों” के बाद चिह्न “,” जोड़ा जाएगा।

(4) खंड (च) में, टिप्पण हट जाएगा;

(5) खंड (छ) में, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण आ जाएगा, अर्थात्:

“टिप्पण: चूँकि “आम जनता हेतु उपलब्ध जानकारी” (“साधारणतः उपलब्ध जानकारी”) तो परिभाषित है, फिर भी आशय यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को “अंतरंग व्यक्ति” (इनसाइडर) माना जाए, जिसके पास “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) हो या जिसकी पहुँच “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” तक हो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी जानकारी उसके पास कैसे आई या उसकी पहुँच ऐसी जानकारी तक कैसे हुई। ऐसे व्यक्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनके अनुसार वह यह साबित कर सकता है कि वह अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) में लिप्त नहीं रहा। इस प्रकार, इस परिभाषा का आशय इसके दायरे में ऐसे किसी व्यक्ति को लाना है जिसके पास “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) आई हो या जिसकी पहुँच “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) तक हो। इसलिए, ट्रेडिंग के समय किसी अमुक व्यक्ति के पास “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) थी या उसकी पहुँच “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) तक थी, यह साबित करने की जिम्मेदारी, उस व्यक्ति पर होगी जो ऐसा आरोप लगा रहा हो, और फिर उसके बाद जिस व्यक्ति ने उस समय ट्रेड किया हो जिस समय “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) उसके पास रही या जिस समय “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) तक उसकी पहुँच रही, वह व्यक्ति यह साबित कर सकेगा कि उसके पास वह जानकारी नहीं थी या यह कि उसने ट्रेड नहीं किया या

वह उस जानकारी तक पहुँच नहीं रख सकता था या यह कि वह जानकारी जब उसके पास थी उस दौरान उसके द्वारा की गई ट्रेडिंग उन परिस्थितियों में की गई जो छूट के दायरे में आती थीं।”

(6) खंड (जख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(जग) “नातेदार” का अर्थ होगा:

- (i) व्यक्ति की पत्नी या उसका पति;
- (ii) व्यक्ति के माता-पिता और उसकी पत्नी या उसके पति के माता-पिता;
- (iii) व्यक्ति के भाई-बहन और उसकी पत्नी या उसके पति के भाई-बहन;
- (iv) व्यक्ति की संतान और उसकी पत्नी या उसके पति की संतान;
- (v) उप-खंड (iii) में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसकी पत्नी या उसका पति; और
- (vi) उप-खंड (iv) में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसकी पत्नी या उसका पति

टिप्पण: आशय यह है कि “संबद्ध व्यक्ति” के नातेदार भी इन विनियमों के प्रयोजनार्थ संबद्ध व्यक्ति ही बन जाते हैं। हालांकि, यह बात गलत साबित की जा सकती है कि संबद्ध व्यक्ति के पास “अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी” (यू.पी.एस.आई.) थी।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./741/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्,-
 - i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59, द्वारा
 - ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02, द्वारा
 - iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23, द्वारा
 - iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32, द्वारा
 - v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/23, द्वारा
 - vi. 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/38, द्वारा
 - vii. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/17, द्वारा
 - viii. 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/37, द्वारा

- ix. 24 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/108, द्वारा
- x. 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/181, द्वारा
- xi. 25 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/184, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th December 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/215—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, -

I. in regulation 2, sub-regulation (1),

(1) in clause (d), sub-clause (i) shall be substituted with the following:

“(i) any person who is or has been, during the six months prior to the concerned act, associated with a company, in any capacity, directly or indirectly, including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the company or holds any position including a professional or business relationship, whether temporary or permanent, with the company, that allows such a person, directly or indirectly, access to unpublished price sensitive information or is reasonably expected to allow such access.”

(2) in clause (d), sub-clause (ii),

in item (a), the words “an immediate” shall be substituted with the word “a”;

(a) in item (j),

(i) the word “immediate”, appearing after the words “*wherein a director of a company or his*”, shall be omitted;

(ii) after the words and symbol “of the holding or interest;” the word “or” shall be inserted.

(b) after item (j) and before the Note, the following items shall be inserted, namely:

“(k). a firm or its partner or its employee in which a connected person specified in sub-clause (i) of clause (d) is also a partner; or

(l). a person sharing household or residence with a connected person specified in sub-clause (i) of clause (d);”

(3) in clause (d), in the Note,

(a) after the words and symbol “price sensitive information.” the word “Immediate relatives” shall be substituted with the word “Relatives”;

- (b) the word “not”, appearing after the words “bring into its ambit persons who may”, shall be omitted;
 (c) after the word “seemingly” the word “not” shall be inserted.

(4) in clause (f), the Note shall be omitted;

(5) in clause (g), the Note shall be substituted with the following, namely:

“NOTE: Since "generally available information" is defined, it is intended that anyone in possession of or having access to unpublished price sensitive information should be considered as an "insider" regardless of the manner in which one came into possession of or had access to such information. Various circumstances are provided to enable such a person to demonstrate that he has not indulged in insider trading. Therefore, this definition is intended to bring within its reach any person who is in receipt of or has access to unpublished price sensitive information. The onus of showing that a certain person was in possession of or had access to unpublished price sensitive information at the time of trading would, therefore, be on the person leveling the charge after which the person who has traded when in possession of or having access to unpublished price sensitive information may demonstrate that he was not in such possession or that he has not traded or he could not access or that his trading when in possession of such information was squarely covered by the exonerating circumstances.”

(6) after clause (hb), the following clause shall be inserted, namely:

“(hc) “relative” shall mean the following:

- (i) spouse of the person;
- (ii) parent of the person and parent of its spouse;
- (iii) sibling of the person and sibling of its spouse;
- (iv) child of the person and child of its spouse;
- (v) spouse of the person listed at sub-clause (iii); and
- (vi) spouse of the person listed at sub-clause (iv)

NOTE: It is intended that the relatives of a “connected person” too become connected persons for the purpose of these regulations. It is a rebuttable presumption that a connected person had UPSI.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./741/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was subsequently amended on, -
 - i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.
 - ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
 - iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.
 - iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.
 - v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.
 - vi. October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/38.
 - vii. April 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/17.

- viii. August 05,2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/37.
- ix. November 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/108.
- x. May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/181.
- xi. June 25, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/184.